अमर उजाला

प्रवाह

नई दिल्ली । बुधवार, 13 फरवरी 2019

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

प्रतिद्वंद्वी की नकल कभी न करें, जिस दिन आप ऐसा करते हैं, उस दिन आपकी अपनी पहचान खत्म...
-जैक मा

चीन के मशहूर व्यवसायी

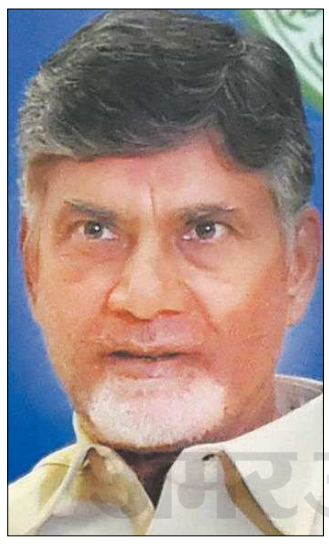

चंद्रबाबू ने विशेष दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर राजधानी में दस्तक दी, जिसकी तात्कालिकता को समझा जा सकता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह अब सियासी मुद्दा बन गया है।

विशेष दर्जे की सियासत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में जो एक दिन का अनशन किया, उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। विशेष दर्जे की मांग को लेकर पिछले वर्ष मार्च में उन्होंने एनडीए सरकार से नाता तोड़ा था। अब जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को दो महीने भी नहीं रह गए हैं, चंद्रबाबू खुद को राज्य के लोगों का हितैषी बताना चाहते हैं। दूसरी ओर विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी भी विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। आंध्र का तर्क है कि हैदराबाद के तेलंगाना के हिस्से में चले जाने से उसकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई है। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फरवरी, 2014 में राज्यसभा में विभाजन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आंध्र को पांच वर्ष तक विशेष राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था। लेकिन एनडीए सरकार का कहना है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान खत्म कर दिया है। वास्तव में संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है ही नहीं। 1969 में यह प्रावधान लाया गया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर और हिमालयी प्रदेशों को विभिन्न कारणों से उनके पिछड़ेपन की वजह से यह दर्जा हासिल है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को परियोजनाओं में 90 फीसदी तक केंद्रीय मदद मिल जाती है। दूसरी ओर मुश्किल यह है कि केंद्र किन्हीं कारणों से किसी राज्य को ऐसा दर्जा सीमित अवधि के लिए दे भी दे तो, यह बर्र के छत्ते पर हाथ डालने जैसा होगा। और फिर विशेष राज्य के दर्जे की अपनी सियासत भी है, जिसे मौजूदा चुनावी परिदृश्य में बखूबी समझा जा सकता है। बिहार भी अपने विभाजन और झारखंड के गठन के बाद से विशेष दर्जे की मांग करता आया है। विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी मांगों ने 1980 के दशक की स्थिति याद दिला दी है, जब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' राज्य की संज्ञा दी गई थी। राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने तथा विकास को गति देने के लिए केंद्र और राज्यों, दोनों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है, क्योंकि तात्कालिक राजनीति दीर्घकालीन आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है।

जरा हटके, जरा बचके, ये पब्लिक बचत है

सुपर हिट फिल्म *डॉन* में, अमिताभ बच्चन हेलन से कहते हैं, 'ये तुम जानती हो कि ये रिवाल्वर खाली है...मैं जानता हूं कि रिवाल्वर खाली है...लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवाल्वर खाली है।' फिल्म का यह चर्चित संवाद नियामकों, नियमन और सार्वजनिक बचत के बीच के अंतर को सांकेतिक रूप में बखूबी प्रदर्शित करता है। इससे भी बदतर यह है कि जिसके बारे में पता है, उस पर भी निरंतर पर्दा डाला जाता है।

शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन और अपने कर्जदार द्वारा फंड के उपयोग की निगरानी नहीं करने की वजह से भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये और कॉरपोरेशन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक पर 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि 10 लाख रुपये के फंसे या बुरे कर्ज के बड़े हिस्से के बारे में पता नहीं है कि आखिर उसे कहां इस्तेमाल किया गया और इस कर्ज के एंड यूजर्स यानी कर्ज का लाभ उठाने वाले भी लापता हैं। स्टेट बैंक ने किसे कर्ज दिया और कितना कर्ज दिया? न तो स्टेट बैंक, जिसके पास 27 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति है और न ही रिजर्व बैंक, जो कि 119 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि का संरक्षक है, इन दोनों ने ही विस्तार से इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। नियामक कार्रवाई पर पड़ी धुंध की व्याख्या नहीं की जा सकती।

इसका खुलासा करना क्यों महत्वपूर्ण है, यह आईएल ऐंड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज) की कहानी से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक को पता था कि आईएल ऐंड एफएस

सार्वजनिक बचत का वित्तीय और कानूनी परिदृश्य जटिल है। विभिन्न तरह के जमा के पांच नियामक हैं- एनएचबी, रिजर्व बैंक, सेबी, एमसीए और राज्य सरकारें। इनमें तालमेल कायम करना एक चुनौती है।

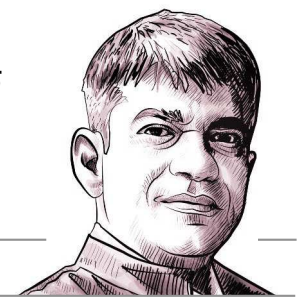

शंकर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार

की बैलेंस शीट (चिट्ठा) कर्ज के बोझ से दबी हुई है और उसने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे दर्ज किया। आईएल ऐंड एफएस को चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने भी इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया और न ही बैंकों या आम लोगों के लिए किसी तरह की चेतावनी जारी की। इस बीच, म्यूचुअल फंड निवेशक, एनबीएफसी के जमाकर्ता, बांड धारक और जमाकर्ता मजे और जोखिम दोनों में रहे। आईएल ऐंड एफसी की रेटिंग तब तक शीर्ष पर रही, जब तक कि वह दिवालिया नहीं हो गई। 2019 में आईएल ऐंड एफएस पर कंपनियों का 91,000 करोड़ रुपये के कर्ज का अनुमान है।

इस महीने की शुरुआत में दो कॉरपोरेट घरानों एस्सल-जी समूह और रिलायंस एडीए समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर कारोबार के दौरान 30 फीसदी गिर गए थे। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने शेयरधारकों को पत्र लिखकर दावा किया कि 'नकारात्मक ताकतें' उनके समूह को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। आरडीएजी ने वित्तीय कंपनियों पर गैरकानूनी तरीके से जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बेचने वालों का दावा था कि प्रतिभूत शेयरों पर ऋण देने की कठोर शर्तें लागू करने के कारण बिकवाली तेज हुई। कुछ हफ्ते पहले आवासीय वित्तीय कंपनियों ने प्रतिरोधक कॉरपोरेट कार्रवाई की शिकायत की थी, जिसके कारण शेयर और बांड के दाम गिर गए। जहां तक वैधता का प्रश्न है, तो इसके लिए जांच का इंतजार है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को अभी इस पर विचार करना है। हालांकि इस घटनाक्रम ने बाजार को किस चीज की जानकारी है या किसकी नहीं है, इन्हें लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋण बाजार को कारोबार और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले ब्यौरों के बारे में तो पता है, लेकिन ऋण समझौता जो कि शेयर के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है, उसकी जानकारी नहीं है। प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या की जानकारी तो पता है, लेकिन मूल्य तथा ऋण के ब्यौरे पता नहीं, जिसके कारण बाजार में उथल-पुथल मचती है। इसका प्रभाव साधारण निवेशकों और म्यूचुअल फंड पर पड़ता है।

पिछले महीने भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। लेकिन अधिग्रहण के औसत मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पता है, वह यह कि जीवन बीमा निगम ने 61.73 रुपये की दर से आईडीबीआई बैंक के 26 फीसदी शेयर खरीदे। पिछले हफ्ते इसके शेयर के दाम गिरकर 42 रुपये हो गए थे। एलआईसी, जो कि 'लाइबिलिटीज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' बन गया है, सरकारों के लिए संकट मोचक जैसा है और जिसने पिछले एक दशक में नाकाम विनिवेशों को उबारा है। पहले उसने बीमार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर खरीदे और अब मरणासन्न संस्थाओं को जीवनदान दे रहा है। और यह सब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की जानकारी और उसकी मंजूरी से हो रहा है, यहां तक कि बीमा कंपनी ने एक बैंक का अधिग्रहण कर लिया, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

कहा गया कि एलआईसी में धन का प्रवाह और निवेश दीर्घकालीन होता है और उसे पिछले निवेशों से फायदा हुआ है। संभवतः यह सच हो। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वह गलत साबित हुए।

जीवन बीमा निगम की ऑडिट दस ऑडिटरों ने की, जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट में प्रमाणित किया कि, 'यह निगम किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी की तरह काम नहीं कर सकता।' ऐसे में 29.62 लाख पॉलिसी धारकों के विश्वास और उनकी बचत का क्या होगा? जीवन बीमा निगम 2017-18 में सरकार का सबसे बड़ा ऋणदाता था और उसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी 1.09 लाख करोड़ और 1.51 लाख करोड़ रुपये के बांड खरीदे। उसके साथ कोई गड़बड़ी होती है, तो इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के दुष्परिणाम सामने आएंगे।

सार्वजनिक बचत का वित्तीय और कानूनी परिदृश्य जटिल है। विभिन्न तरह के जमा के पांच नियामक हैं- एनएचबी (नेशनल हाउसिंग बैंक), रिजर्व बैंक, सेबी, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय) और राज्य सरकारें। लिहाजा जो जानकारियां पता हैं और जो पता नहीं हैं उनके बीच अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन जो पता है, उसे गलत तरीके से खत्म कर देने को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

अंतर्ध्वनि

>> पाउलो कोएल्हो

आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है

मेरा मानना है कि हर किसी के भीतर वह चिंगारी मौजूद है, जिससे दिव्य प्रकाश पैदा हो सकता है। इस धरती पर हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने वजूद को साबित कर सकें। लेकिन कभी-कभी हम दुनिया में अपनी उपस्थिति के कारण का सामना करने से ही डरते हैं। हमें यह पता होता है कि दूसरों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, पर अपने बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैंने अपने पहले अनुभव में सैंटियागो जाने वाली सड़क के बारे में लिखा। और फिर अपनी दूसरी किताब के लिए मैंने अपने जीवन का एक रूपक लिखने का फैसला किया। हालांकि इसका अंदेशा कभी नहीं हुआ कि यह कई दिलों को छूने वाला है। लेखन में कभी-कभी मेरे अंतस का एक खास किस्म का सवाल दिखता है और यह प्रश्न आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीत होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं आध्यात्मिक लेखक नहीं बन जाता। यदि आप युद्ध के बारे में लिखते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कोई सैनिक हैं। यदि आप जासूसों के बारे में लिखते हैं, तो यह भी आपको जासूस नहीं बनाता। लेकिन जब आपको आध्यात्मिक लेखक करार दिया जाता है, तो लोग सोचते हैं कि आपके पास कुछ उत्तर जरूर हैं।

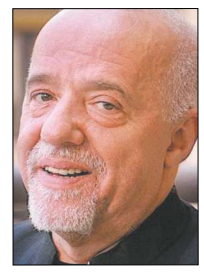

यह एक नया युग है। मेरे लिए नया युग लोगों द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के धर्मों का मिश्रण है। इस घोल से किसी एक धार्मिक मान्यता की शुरुआत हो, यह करने का साहस भी किसी में नहीं है। मैं कैथोलिक लेखक नहीं हूं। कई दफे मेरी राय पोप से नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं चर्च या अपने धर्म की इज्जत नहीं करता। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि केवल विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के लिए नहीं है।

-ब्राजील के मशहूर उपन्यासकार

मंजिलें और भी हैं

>> अलजुबेर सैयद

किफायती सोलर कुकर अपनाने का अभियान

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई और थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के दौरान मेरा सौराष्ट्र के गांवों में जाना हुआ। वहां मैंने देखा कि महिलाएं डेढ़-दो घंटे जंगलों में लकड़ियां काटने-बीनने में लगाती हैं। चूल्हे का धुआं उनकी सेहत बिगाड़ता है। गांवों में औसतन मात्र पांच-सात हजार रुपये एक घर की आमदनी होती है। तभी मुझे लगा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। काफी सोचने के बाद मेरा ध्यान सोलर कुकर पर गया। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसके बेसिक प्लांट/सौर ऊर्जा से भोजन पकाने के लिए जरूरी कुकर किफायती नहीं हैं। अतः मैंने रिसर्च शुरू की। अमेरिका, पुर्तगाल और जर्मनी के सौर ऊर्जा विशेषज्ञों से संपर्क किया। उनके सोलर कुकर देखे और तब कार्डबोर्ड, एल्यूम्यूनियम फॉइल और बांधने की डोरी से अपना सोलर कुकर मॉडल बनाया, जिसका कुल खर्च सिर्फ 50 से 60 रुपये बैठता है। इस कुकर को गांवों के गरीब लोग बेहद कम खर्च में बना सकते हैं।

इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं गांवों-आदिवासी इलाकों में घूमता हूं।

डिजाइन इतना आसान है कि अनपढ़ इंसान भी आसानी से कॉपी कर ले। मेरे मॉडल कोपेनहेगेन सोलर कुकर मॉडल के करीब हैं, जो कि अपनी खासियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।

इस सोलर कुकर में आप चीजें उबाल सकते हैं। उबालने के बाद मसाले-तेल मिलाकर डिब्बे में बंद कर दें, तो तड़का भी लग जाएगा। सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए स्टील के डब्बे को काले ऑइल पेंट से रंग लें, तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे खाना पकाने का वक्त और घट जाएगा। बर्तन को गर्म रखने के लिए ओवन बैग का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। सौर ऊर्जा में सूरज के ताप की तेजी तय करती है कि चीजें कितनी देर में पकेंगी। तेज गर्मी में औसतन पांच से छह लोगों के लिए चावल सवा घंटे में सौर ऊर्जा से पक जाएगा। वहीं सर्दी में इतने ही लोगों के लिए डेढ़ घंटे से अधिक लगेगा।

फिलहाल देश में चौकोर और परवल-आकार वाले सौर कुकर उपलब्ध हैं। सब्सिडी के बाद चौकोर सोलर कुकर दो से लेकर तीन हजार रुपये तक और परवल-आकार वाले सोलर कुकर 8,000 से 11,000 रुपये तक आता है। जाहिर है भारत के गांवों या आदिवासी इलाकों में लोग एक वक्त का भोजन पकाने के लिए इतने महंगे कुकर नहीं खरीद सकते।

किफायती सोलर कुकर के मैंने करीब एक दर्जन सोलर कुकर मॉडल तैयार किए और गुजरात के गांवों तथा आदिवासी इलाकों के 55 गांवों में 1,500 महिलाओं को इन्हें बनाने का प्रशिक्षण दिया। वे इस काम को आगे बढ़ा रही हैं।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों के लोगों को भी मैंने किफायती सोलर कुकर बनाने की ट्रेनिंग दी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं गांवों-आदिवासी इलाकों में घूमता हूं।

साथ ही लोगों को यह सिखाने के लिए फोन और फेसबुक पर उपलब्ध रहता हूं। इसके लिए मैंने फेसबुक पर 'सोलर कुकर कुकिंग कैंपेन फॉर ग्रासरूट्स ऑफ इंडिया' नाम से पेज भी बनाया है।

मेरा मकसद गरीब ग्रामीणों की जिंदगी बेहतर बनाने की है। गांवों तक इस किफायती सोलर कुकर डिजाइन को पहुंचाने के लिए मैंने किसी एनजीओ या सरकार से मदद नहीं ली। मेरे इस काम के लिए पिछले दिनों मुझे संयुक्त राष्ट्र का वॉलेंटियर अवार्ड भी प्रदान किया।

बीमारियां भी फैला रहा है जातिवाद

रहन-सहन की निम्न परिस्थितियों के साथ ही गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को शुद्ध पानी मिलने में परेशानी होती है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों खासकर महिलाओं का पोषण स्तर खराब रहता है, जो स्वस्थ समाज के विकास में बाधा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव न सिर्फ उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। सामाजिक रूप से किए जाने वाले भेदभाव का सबसे वीभत्स रूप है, गांवों में पानी को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जानवरों-सा बर्ताव। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था ने गांवों के कुओं को सामाजिक भेदभाव, बहिष्कार और बीमारियों को फैलाने का केंद्र बना दिया है। भेदभाव के कारण सवर्णों की अपेक्षा इस वर्ग की आबादी डायरिया, कालरा, मलेरिया, फाइलेरिया जैसी जल जनित बीमारियां की चपेट में ज्यादा आती है।

वाटरएड इंडिया की फेलो रिसर्च अनुसूचित जाति के लोगों व वंचितों के खराब स्वास्थ्य के कारणों की पड़ताल करती है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े भी अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में जल वितरण में असंतुलन के कारण दलितों के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, सामान्य तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। महिलाएं थकावट, कमजोरी और रक्त अल्पता से ग्रसित रहती हैं। भारत में 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है। लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं कद में काफी छोटी रह जाती हैं। कुपोषित गर्भवती महिला के साथ प्रसव के समय कुछ गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे खून का बहना, संक्रमण या नवजात शिशु का छोटा व कमजोर पैदा होना। गरीबी, जमीन का न होना, रहन-सहन की निम्न परिस्थितियों के साथ ही गांवों में

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अनुसूचित जाति के लोगों को शुद्ध पानी मिलने में परेशानी के कारण समाज के कमजोर वर्गों खासकर महिलाओं का पोषण स्तर खराब रहता है, जो स्वस्थ समाज के विकास में बाधा है। शुद्ध जल तक आसान पहुंच नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में कुपोषण सबसे अधिक समस्या है।

वाटरएड इंडिया की फेलो रिसर्च बुंदेलखंड पर केंद्रित होने के साथ ही पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति को बयां करती है। बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाकों के गांवों में स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। लगातार सूखे की मार झेलने वाले इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों को पानी के लिए कुछ ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। बुंदेलखंड में करीब 70 से 80 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों में निवास करने वाले करीब 25 से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। बुंदेलखंड में 66 अनुसूचित जाति व जनजातियां सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, जिनमें मुख्यतः अहिरवार, गौतम, डोमार, जाटव, वाल्मीकि, छोड़ा आदि जातियां शामिल हैं।

बुंदेलखंड के गांवों की संरचना सवर्ण बहुल है। यहां 50 से 70 प्रतिशत सवर्ण और करीब 30 प्रतिशत अनुसूचित और शेष अन्य जातियां हैं। अनुसूचित जाति के बीच काम करने वाले एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की करीब पचास फीसदी आबादी पानी के स्रोतों से वंचित है। जबकि इस वर्ग के 20 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, विगत एक दशक में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले अपराध में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 से 2016 के बीच पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों व आदिवासियों से जुड़े पांच लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छोटी-मोटी लड़ाइयों से जुड़े हैं, जो यह बताता है कि अभी भी इस वर्ग के साथ छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करना या भेदभाव करना सामान्य बात है।

खुली खिड़की

किस धर्म के साथ

तमाम यूरोपीय देशों में किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है। नीदरलैंड्स इस मामले में सबसे आगे है। वहां की लगभग आधी आबादी किसी खास धर्म के नियमों से नहीं बंधी है।

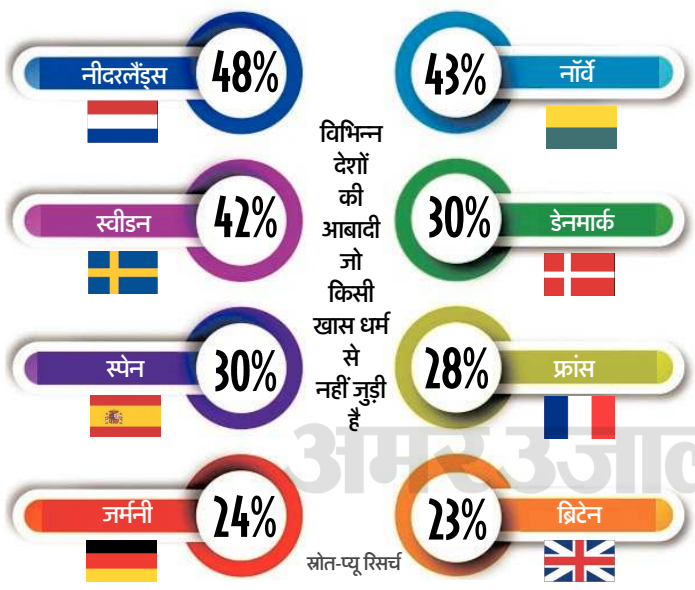

फिर चिल्लाना क्यों

एक संन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते-करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। संन्यासी यह देख तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे, एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए! पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है, तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरुरत है, जो कहना है वह आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं, संन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। शिष्यों ने उत्तर देने के प्रयास किए, पर संन्यासी संतुष्ट नहीं हुए।

सत्संग

अंततः संन्यासी ने उन्हें समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं, तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते, वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है, जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं, तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

ख्वाहिश और कागज के जहाज

एक लड़की की मासूम ख्वाहिश, जिसकी वजह से उसकी दीदी की जान बच गई।

***रिया** की हालत गंभीर थी। उसे हार्ट-ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी डॉक्टर रिया के लिए दिल नहीं ढूंढ पा रहे थे। रिया के माता-पिता ने हार मान ली थी और अब बस वह घंटे गिन रहे थे। अस्पताल से वह घर लौटे, तो सबसे छोटी लड़की पापा को देखते ही वह बोली, पापा, दीदी कैसी हैं? क्या कोई डोनर मिला? पिता ने जवाब दिया, दीदी अच्छी है, बेटा। मीरा बोली, पापा पता है, कल गांगुली सर ने हमें कागज का हवाई जहाज बनाना सिखाया। पिता ने देखा, पूरा कमरा कागज के रंगीन जहाजों से भरा हुआ था। वह बोले, लेकिन तुम इन जहाजों का क्या करने वाली हो? मीरा बोली, पापा, सर कह रहे थे, हम इन जहाजों पर अपनी ख्वाहिश लिखकर उड़ाएंगे, तो भगवान हमारी ख्वाहिश जल्दी सुन लेंगे। इसलिए मैंने ये सारे जहाज दीदी के डोनर ढूंढने के लिए बनाए हैं। और देखो, इसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिखा है। आप मेरे साथ ये जहाज उड़ाएंगे न? पापा सोचने लगे, काश, मीरा की ख्वाहिश सचमुच पूरी हो जाए। तभी उन्हें याद आया कि उनके एक दोस्त के पास अपना हेलीकॉप्टर था। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और दोस्त को मिला दिया। दोनों में कुछ देर तक बात हुई और अगले दिन मिलने के लिए सुबह आठ बजे का वक्त तय हो गया। अगले दिन सुबह आठ बजे मीरा, उसके पापा अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान में गए और वहां से सारे कागज के जहाज एक-एक कर नीचे उड़ाने लगे। पापा मीरा को लेकर जब वापस अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि रिया को दिल देने के लिए डोनर का कॉल आया था। एक प्रोफेसर के बेटे की रोड एक्सिडेंट में मृत्यु हो गई। वह अपने बेटे का दिल रिया को देना चाहते थे।*

सच्चे मन से कोशिश करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी।